न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 35 / 2021

ईसा पुत्र उम्मेद जाति मेव निवासी ग्राम आरदूका तहसील पहाडी (भरतपुर)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पहाडी (भरतपुर)
2. जगदीश
3. प्रकाश सिंह पिसरान सतनाम सिंह
4. राजकौर पुत्री सतनाम सिंह
5. सुरजीत कौकर पुत्री सतनाम सिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम भोजपुर तहसील पहाडी । हाल आबाद पंचायती झुग्गी (छायसा) तहसील बल्लभगढ जिला फरीदाबाद हरियाणा।
6. जसवन्त सिंह
7. प्रताप सिंह
8. सुखदेव सिंह पिसरान काला सिंह
9. भजन कौर
10. रामकौर पुत्री काला सिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम भोजपुर तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

11. हरदेव सिंह पुत्र प्यारा सिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम भोजपुर तहसील पहाडी

तरतीवी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111, 136 एल0आर0 एक्ट

1. श्री प्रमोद शर्मा वकील प्रार्थी

दिनांक :–11 / 02 / 2022

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी साविक खसरा नम्बर 6 / 4(4 बीघा) जिसका नया खसरा नम्बर 21 / 0.65 व साविक खसरा नम्बर 06 / 2 (9 बीघा) जिसका नया खसरा नम्बर 17 / 1.46 हैक्टर बांके ग्राम भोजपुर तहसील पहाडी में स्थित है वर्तमान में मौके व कब्जे के अनुसार खसरा नम्बर नया 21 / 0.65 हैक्टर खसरा नम्बर 17 / 1.46 हैक्टर की जगह पर स्थित है एवं खसरा नम्बर 17, खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी

पहाड़ी (भरतपुर)

21 की जगह पर है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा नया नक्शा निर्मित करते समय मौके का निरीक्षण नहीं किया गया और नवीन नक्शे में दोनो खसरा नम्बरो को आपस में कब्जे के विपरीत दर्शा दिया है। जबकि प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी का 21/0.65 हैक्टर मौके व कब्जे के अनुसार खसरा नम्बर 17/1.46 हैक्टर के स्थान पर दक्षिण दिशा में है जिसमें प्रार्थी ने मुताबिक हिस्सा अपनी आराजी पर चारदीवारी कर उसमें बोर लगा रखा है। जिसमें विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है एवं अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 17/1.46 हैक्टर खसरा नम्बर 21/0.65 हैक्टर के स्थान पूर्व दिशा में है। सैटलमेन्ट विभाग को मुताबिक मौका एवं कब्जानुसार ही हाल नक्शा निर्मित करना चाहिए था ऐसा ना करके सैटलमेन्ट विभाग ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत कार्य किया है। प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी संख्या 11 के हक व हित समान है। वक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के समय उपस्थित नहीं होने के कारण इनको बतौर तरतीवी अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई दादरसी नहीं चाही गई है। उक्त नवीन खसरा नम्बरों के नक्शा ट्रेस दिनांक 16/06/2021 को लेने पर मुझ प्रार्थी की जानकारी में आया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, 136 एल0आर0 एक्ट पेश कर निवेदन है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नवीन नक्शे में हाल मौका व कब्जे के अनुसार मुझ प्रार्थी के खसरा नम्बर 21/0.65 हैक्टर को पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 17/1.46 हैक्टर की जगह दर्शाकर संशोधित किया जावे एवं खसरा नम्बर 17/1.46 हैक्टर को मुझ प्रार्थी के खसरा नम्बर 21/0.65 की जगह पूर्व दिशा में दर्शाकर संशोधित किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1 ने मौका पर्चा रिपोर्ट इस आशय की पेश कि आज दिनांक 20/12/2021 को ग्राम भोजपुर के आराजी खसरा नम्बर 21/0.65 एवं 17/1.46 के मौके पर पहुँचा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के आराजी खसरा नम्बर 21/0.65 जमाबन्दी सम्वत 2075 — 2078 के खाता संख्या 203 पर हरदेव पुत्र प्यारा सिंह जाति सिक्ख निवासी भोजपुर हिस्सा 61/65 एवं ईसा पुत्र उम्मेद हिस्सा 4/65 जाति मेव साकिन आरदूका के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है एवं खसरा नम्बर 17/1.46 जमाबन्दी सम्वत 2075—78 के खाता संख्या 32 पर जगदीश सिंह ,प्रकाश सिंह,पिसरान सतनाम सिंह वगैराह जाति सिक्ख साकिन भोजपुर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है वर्तमान राजस्व नक्शा में खसरा नम्बर 21/0.65 एवं 17/1.46 की स्थिति निम्नानुसार है आराजी खसरा नम्बर 21/0.65 जो वर्तमान में आराजी खसरा नम्बर 17/1.46 के पूर्व में है। मुताबिक मौका के खसरा नम्बर 21/0.65 एवं 17/1.46 की स्थिति निम्नानुसार है मुताबिक मौका स्थिति के खसरा नम्बर 21/0.65 खसरा नम्बर 17/1.46 के पश्चिम की ओर है जिसमें खसरा नम्बर 21/0.65 ईसा पुत्र उम्मेद ने अपने हिस्से 4/65 में बोर लगाकर चारदीवारी की हुई है एवं हरदेव सिंह पुत्र प्यारा सिंह ने अपने हिस्से 61/65 पर सरसों की फसल बोकर काश्त की हुई है। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 21/0.65 के पूर्व की ओर खसरा नम्बर 17/1.46 में जगदीश सिंह, प्रकाशसिंह, पिसरान सतनाम सिंह वगै0 ने अपने हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

मुताबिक गेहूँ–सरसों की फसल काश्त की जा रही है। वर्तमान में उक्त दोनों खसरा नम्बर पर किसी प्रकार का कोई स्थगन व विवाद नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 10 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाल जबाब प्रस्तुत किया है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया ।

हमने बहस पर मनन किया, पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब/मौका पर्चा रिपोर्ट तहसीलदार का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण नक्शा शुद्धि का है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी खसरा नम्बर 21/0.65 प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी एवं खसरा नम्बर 17/1.46 अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 10 के नाम दर्ज है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट मौके पर भी इसी अनुसार खातेदार काबिज है। मुताबिक मौका स्थिति के खसरा नम्बर 21/0.65 खसरा नम्बर 17/1.46 के पश्चिम की ओर है। जिसमें खसरा नम्बर 21/0.65 पर प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी काबिज है। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 21/0.65 के पूर्व की ओर खसरा नम्बर 17/1.46 पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 10 काबिज है। परन्तु नक्शे की स्थिति विपरीत है। वर्तमान नक्शे में बन्दोबस्त विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर 21/0.65 के पश्चिम की ओर खसरा नम्बर 17/1.46 को दर्शाया है। वर्तमान नक्शे में बन्दोबस्त विभाग द्वारा नया नक्शा निर्मित करते समय मौके का निरीक्षण नहीं किया गया और नवीन नक्शे में दोनो खसरा नम्बरो को आपस में कब्जे के विपरीत दर्शा दिया है। इस तथ्य पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 10 को कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा नक्शा तरमीम करते समय भारी भूल की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। मुताबिक मौका स्थिति के खसरा नम्बर 21/0.65 को खसरा नम्बर 17/1.46 के पश्चिम की ओर दर्शाया जावे। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 20.12.2021 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)